कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 834 / 2018 / 10–11 / 2358 भोपाल, दिनांक 01–08–18

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– **इन्दौर एवं खरगौन जिले में महू–सनावद गेज परिवर्तन हेतु रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु इन्दौर वन मण्डल की 188.97 हेक्टेयर एवं बड़वाह वन मण्डल की 19.922 हेक्टेयर कुल 208.89 हेक्टेयर वन भूमि पश्चिम रेल्वे, इन्दौर को उपयोग पर देने बाबत्।**

संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक / 6-MPA020/2018-BHO/242 दिनांक 05.07.2018

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की स्वीकृति जारी करने के पूर्व 05 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है, आपके द्वारा चाही गई जानकारी निम्नानुसार हैः–

1– बिन्दु क्रमांक–1 के पालन में प्रस्तावित वन भूमि का वनमण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

2– बिन्दु क्रमांक–2 के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर इन्दौर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। भारत सरकार द्वारा दिए निर्देशानुसार वन अधिकार अधिनियम का प्रमाण पत्र औपचारिक स्वीकृति के पूर्व दिया जा सकता है। अतः प्राप्त होने पर औपचारिक स्वीकृति के पूर्व आपको प्रेषित किया जावेगा।

3– बिन्दु क्रमांक–3 के पालन आवेदक संस्थान द्वारा इन्दौर जिले हेतु विस्थापन का प्रमाण पत्र वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर इन्दौर के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।

4– बिन्दु क्रमांक–4 के पालन वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दी जाने वाली वन भूमि का वनमण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित सर्वे आफ इंडिया के मानचित्र की छायाप्रति संलग्न है।

3– बिन्दु क्रमांक–5 के पालन वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दी जाने वाली वन भूमि का सर्वे आफ इंडिया के मानचित्र एवं जियो रिफरेंस मानचित्र बेवपोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है एवं हार्डकॉपी में संलग्न प्रस्तुत है।

अतः उपरोक्तानुसार आपके द्वारा चाही गई जानकारी पूर्ण हो गई है। कृपया प्रकरण में प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

01/08/18

(सुनील अग्रवाल)

–2–

Scanned by CamScanner

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 834 / 2018 / 10–11 / 2352 भोपाल, दिनांक 01–08–18

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, इन्दौर / खण्डवा वृत्त, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल इन्दौर / बड़वाह, मध्यप्रदेश।
3. उप मुख्य अभियंता, पश्चिम रेल्वे, इन्दौर, मध्यप्रदेश।

की ओर प्रेषित कर लेख है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 05.07.2018 के बिन्दु क्रमांक 2 एवं 3 की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें।

01/08/18

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

Scanned by CamScanner